

## फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री हितेष सुथार, नि0 सुथारो का मोहल्ला, कोठारीया, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द  
- अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा

- प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा - अपील सूचना का अधिकार, 2005

पत्रावली संख्या 77 / 2024

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण  | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं |
|---------|--|--|
|         | <p><b>दिनांक 26.09.2024</b></p> <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा से जरिये पृष्ठांकित अपीलार्थी क्रमांक/एसडीएम/सू0अ0/2024/63-64 दिनांक 03.09.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलकर्ता श्री हितेष सुथार नि0-सुथारो का मोहल्ला, कोठारीया, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्राप्त ऑनलाईन आवेदन दिनांक 30.06.2024 के क्रम में प्रार्थी द्वारा इस कार्यालय से चाही गई सूचनाएं प्रार्थी को इस कार्यालय से दिनांक 31.07.2024 को इस कार्यालय के पत्रांक सामान्य/एसडीएम/सू0अ0/2024/60 द्वारा प्रार्थी को ऑनलाईन आरटीआई पोर्टल के माध्यम से प्रार्थी को उपलब्ध करा दी गई थी।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा द्वारा दिनांक 31.07.2024 को जरिये पत्रांक सामान्य/एसडीएम/सू0अ0/2024/60 द्वारा प्रार्थी को उपलब्ध करा दी जाने से उक्त अपील को खारीज किया जाता है।</p> <p>निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा, को भिजवायी जावे।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p> |  |



लोक सूचना अपीलार्थी अधिकारी  
(जिला कलक्टर) राजसमंद